

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)

फा.नं. 34 /स्था./परीक्षा/ 5600 /2024

दिनांक 27 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में भृत्य के 21 तथा आदेश तामीलकर्ता के 10 पद कुल 31 पदों हेतु वेतनमान 15500-49000/- में इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि	: 04 मार्च 2024 (सोमवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	: 07 मार्च 2024 (गुरुवार)
अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/साक्षात्कार दिनांक	: बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।
2. आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से दिनांक 04 मार्च 2024 (सोमवार) को रात 11:59 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 07 मार्च 2024 (गुरुवार) रात 11:59 बजे तक संबंधित त्रुटि को MPONLINE द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क रुपये 50/- +18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क :-

सभी वर्ग के आवेदकों के लिये एम.पी. ऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क रुपये 100/- एक सौ रुपये +18 प्रतिशत जी.एस.टी. देय होगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. आनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk Link देखें। आवेदन इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से **नागरिक सेवायें** होम पेज ऑप्शन में क्लिक करें। फिर डाउनलोड लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् MP State Legal Services Authority के Logo पर Click करें, तत्पश्चात् Application and Services ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिये Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे-की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव/सुरक्षित करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है, वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है, तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा, तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2- इंटरनेट बैंकिंग।

3- क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं ही इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेट-वे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

4- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे

इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग-इन करेगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।

- 5- एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालन www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेस में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारीयां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें, ताकि मांगी गई समस्त जानकारीयां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयां सही-सही भरे होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।
- 6- यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क में माध्यम से Pay For Unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- 7- इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay For Unpaid Application में उक्त जानकारीयां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर, कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 8- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा

न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाईन के होमपेज पर "संपर्क करें" में क्लिक करें तथा "शिकायत" विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कस्टमर केयर (8:30 AM - 07:30 PM) :- 0755-6720200

एम.पी. ऑनलाईन कार्यालय दूरभाष क्रमांक :- 0755-6720222

3rd फ्लोर, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर,

नियर आरजीपीवी गांधी नगर, भोपाल 462033

(1) पदनाम, वेतनमान और अर्हतायें :-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
भृत्य/ आदेश तामीलकर्ता	सातवें वेतनमान के अनुसार 15500-49000	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड / केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण ।

टीप :- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पदवर्ग (i) भृत्य के 21 पदों का आरक्षण विवरण :-

क्रमांक	रोस्टर	सामान्य	भू.पू. सैनिक (होरीजेन्टल कम्पार्टमेन्ट वाईज)	विकलांग (दृष्टिबाधित / अरिधबाधित)	महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत	कुल पद
1	अनारक्षित	3	1	0	2	6
2	अनु. जाति	1	1	0	1	3
3	अनु. जनजाति	2	1	0	1	4
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	1	0	2	6
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0	0	0	2
	योग	11	4	0	6	21

(ii) आदेश तामीलकर्ता के 10 पदों का आरक्षण विवरण -:

क्रमांक	रोस्टर	सामान्य	भू.पू. सैनिक (होरीजेन्टल कम्पार्टमेंट वाईज)	विकलांग (दृष्टिबाधित / अरिधबाधित)	महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत	कुल पद
1	अनारक्षित	1	1	0	1	3
2	अनु. जाति	1	0	0	1	2
3	अनु. जनजाति	1	0	0	1	2
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	1	2
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	0	0	1
	योग	5	1	0	4	10

नोट-:1. उक्त पदों में वर्गवार 20 प्रतिशत पद (म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रहेंगे।

- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के जापन क्रमांक फा-सी .क्र .3-8/2015/3/एक दिनांक 19.11.2015 के अनुसार महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के तैतीस प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हारिजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज) होगा।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी-3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

(2) आयु की गणना:-

समस्त अभ्यर्थियों के लिये दिनांक 01 जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क.सी-3-11/2012/1/3, दिनांक 3 नवम्बर, 2012 तथा क.सी-3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा यथासंशोधित के अनुसार, निम्नानुसार होगी:-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु. जाति/अनु.	45 वर्ष

	जनजाति/अ.पि.वर्ग)	
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम / मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम / मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग)	45 वर्ष

- नोट:- 1 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 550-2532/1(3)/80 दिनांक 12.02.1981 के अनुसार दिव्यांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जावेगी।
2. आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जायेगा।
3. भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जावेगी।

(3) अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/साक्षात्कार (उपरोक्त सभी पदों हेतु):-

अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/साक्षात्कार के समय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (574, साउथ सिविल लाईन्स) जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूलप्रतियों के साथ पठनीय छायाप्रति तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक, आयु प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा जारी किया गया तथा सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(4) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

- (1) अभ्यर्थी दोनों पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसे आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम (सेवा की सामान्य शर्तें), 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो -
 - (क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन/विभाग ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन/ विभाग का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - (ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

- (ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
- (घ) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है (परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है।)
- (3) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम/चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।
- (4) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को होगा।
- (5) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
- (6) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (7) ऑनलाईन आवेदन पत्रों में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु एक निश्चित समय प्रदान किया जावेगा तथा इसी निश्चित समय में समस्त अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करवाना आवश्यक होगा। निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा बल्कि अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
- (8) आरक्षित प्रवर्ग (अनु.जाति., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.वर्ग) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-7-13/2004/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।
- (9) दिव्यांग पदों के लिये आवेदन करने की तारीख को, दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। इस उपबंध का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, केन्द्रीय/राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वैध होगा।
- (10) साक्षात्कार दिनांक की सूचनाएं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.mpslsa.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाईन

की वेबसाइट में प्रकाशित किये जावेंगे जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिन्ट निकालना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगा।

- (11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोससिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।
- (12) पुनः मूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।
- (13) आवेदक को स्क्रीनिंग व साक्षात्कार की सूचना उनके मोबाइल नं. पर एस.एम.एस. के माध्यम से एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वेबसाइट पर दी जावेगी। जिसमें आवेदक समय-समय पर वेबसाइट एवं अपने मोबाइल की जाँच करते रहें सूचना न मिलने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एम.पी. ऑनलाइन की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

प्राप्तांक/स्कोर कार्ड:-

साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक/स्कोर कार्ड, अपनी आई.डी. (आवेदन क्रमांक) पासवर्ड (जन्मतिथि) एवं ओ.टी.पी. (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जावेगा) से लॉगइन कर देख सकते हैं तथा प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:-

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

विनिष्ठीकरण :-

आवेदन पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन)

सदस्य सचिव